राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांकः प.15(16)(2)रसद/2015/ 1919 दिनांक :– 13-11-2018

उप आवंटन आदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान–जयपुर के आवंटन आदेश संख्या एफ30(1)खा.वि./केरो. आवं./2018 दिनांक 02.11.2018 के क्रम में जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु माह **नवम्बर 2018** के लिए केरोसीन का नगरपरिषद्/पंचायत समिति/थोक विक्रेतावार निम्न प्रकार अस्थाई (Tentative) उप आवंटन जारी किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम नगरपरिषद्/ पंचायत समिति	कुल आवंटित मात्रा KL. में	आवटंन का विवरण	नाम थोक विक्रेता	रोस्टर का विवरण
1.	नगरपरिषद् बाड़मेर	11	11	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
2.	नगरपरिषद् बालोतरा	7	7	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
3.	पं. स. बाड़मेर	50	50	हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	सम्पूर्ण
4.	पं. स. रामसर	24	24	नेशनल ऑटोमोबाइल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
5.	पं. स. शिव	25	25	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
6.	पं. स. गड़रारोड़	25	25	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
7.	पं. स. चौहटन	36	36	नेशनल ऑटोमोबाइल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
8.	पं. स. सेड़वा	41	41	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा	सम्पूर्ण
9.	पं. स. धनाऊ	31	31	नेशनल ऑटोमोबाइल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
10.	पं. स. धोरीमना	28	28	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
11.	पं. स. गुड़ामालानी	30	10 20	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर हस्तीमल बागरेचा, सिवाना	क्र.सं. 01 से 20 तक क्र.सं. 21 से 58 तक
12.	पं. स. सिणधरी	31	31	बालाजी एजेन्सी, शिव	सम्पूर्ण
13.	पं. स. बायतू	22	22	हस्तीमल मोहनलाल, बाड़मेर	सम्पूर्ण
14.	पं. स. गिड़ा	19	19	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
15.	पं. स. बालोतरा	19	12 7	मुरलीधर ईश्वरदास, बालोतरा एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	क्र.सं. 01 से 34 तक क्र.सं. 35 से 53 तक
16.	पं. स. पाटोदी	11	11	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
17	पं. स. कल्याणपुर	16	16	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
18.	पं. स. सिवाना	21	21	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
19.	पं. स. समदड़ी	9	9	एस.रामरतन एण्ड क., बालोतरा	सम्पूर्ण
	योग :–	**456**	**456**		

शर्तें :–

1. प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता आवंटित मात्रा का तेल कम्पनियों से सम्पूर्ण उठाव कर उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन तेल की आपूर्ति करेंगे।
2. उक्त सभी थोक विक्रेता उनके सम्मुख अंकित जिले की पंचायत समिति/नगरपरिषद् क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों को डोर स्टेप डिलीवरी सिद्धान्त से केरोसीन तेल की आवंटनानुसार आपूर्ति करेंगे।
3. वार्डवार/ग्राम पंचायतवार स्थित प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदारों को गत माह के आवंटन अनुसार केरोसीन का पंचायत समितिवार रोस्टर संलग्न है। थोक विक्रेताओं द्वारा संलग्न आवंटन के अनुसार वैध दुकानदारों को केरोसीन तेल की आपूर्ति की जावेगी। यदि स्थानीय स्तर पर मांग अधिक है या राशनकार्डों की संख्या में विसंगति है या केरोसीन तेल खाली नहीं होने पर केरोसीन तेल बच जाता है या अन्य कोई परिवर्तन/संशोधन करना हो तो इसके लिए इस कार्यालय द्वारा अलग से आदेश जारी किया जावेगा। शेष अवितरित मात्रा थोक विक्रेता अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
4. प्राधिकृत थोक विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार/केरोसीन प्राधिकार पत्रधारी के गोदाम पर केरोसीन खाली करने के बाद **उसके स्टॉक रजिस्टर में मोहर लगा कर** अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे **एवं डीलर के भी हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में करायेगे।**
5. थोक विक्रेता केरोसीन के विक्रय बिल पर प्राधिकार पत्रधारक **उचित मूल्य दुकानदार के स्वयं के हस्ताक्षर एवं बाये हाथ के अंगुठा निशानी लेगा,** अन्य किसी के नहीं व आपूर्ति की दैनिक सूचना इस कार्यालय/संबंधित उपखण्ड कार्यालयों में प्रेषित की जावेगी।
6. प्राधिकृत थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानवार रोस्टर में अंकित क्रमांनुसार बढते हुए टैंकर संख्यावार केरोसीन की आपूर्ति की जावेगी।

(2)

7. उक्त उप आवंटन में जिन उचित मूल्य दुकानदारों के पास अवशेष स्टॉक है, उन्हें आवंटित राशनकार्डो पर बनने वाले केरोसीन से अधिक है, उन उचित मूल्य दुकानदारों को शून्य आवंटन किया गया है। अतः संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक उन उचित मूल्य दुकानदारों के अवशेष केरोसीन को उपभोक्ताओं में वितरण करवाना सुनिश्चित करें। फिल्ड स्तर पर केरोसीन की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था संबंधी प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक की जवाबदेही होगी एवं किसी प्रकार की अनियमितता के लिए उस क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का उत्तरदायित्व होगा।
8. **खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार खुदरा विक्रेता एलपीजी. गैस धारकों को केरोसीन की आपूर्ति नहीं करेंगे।**
9. जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रेताओं द्वारा 2.50 लीटर केरोसीन तेल दर 30.60 रू. (जीएसटी सहित) प्रति लीटर से उनके यहां पात्र पंजिकृत उपभोक्ताओं को उनके वैध राशनकार्डो पर वितरित किया जावेगा।
10. प्राधिकृत थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए केरोसीन तेल की सूचना उसी दिन या आगामी दिवस तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए संबंधित उपखण्ड अधिकारी/प्रवर्तन कर्मियों को भी सूचित किया जावेगा।
11. इस आदेश के साथ उचित मूल्य दुकानदारों की पंचायत समितिवार संलग्न आवटंन सूची में या यह आदेश जारी होने के बाद यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र से त्याग पत्र देता है/निलम्बित/निरस्त हो जाता है तो उनके स्थान पर कार्यालय द्वारा समय-समय पर की गई वैकल्पिक वितरण व्यवस्था वाले डीलरो को ही थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की जावेगी।
12. इस अस्थायी (टेन्टेटिव) आदेश में थोक विक्रेताओं को आवंटित मात्रा से यदि संबंधित तेल कम्पनी द्वारा कम/अधिक मात्राएं आवंटित की जाती है तो कम आवंटन वाले थोक विक्रेता के क्षेत्र में आपूर्ति से शेष रहे खुदरा विक्रेताओं को अधिक आवंटन प्राप्त होने वाले थोक विक्रेता द्वारा इस कार्यालय से निर्देश प्राप्त करते हुए आपूर्ति की जावेगी। संबंधित थोक विक्रेता समय रहते हुए वांछित सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
13. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है। अतः जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदार को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित नीले केरोसीन तेल के मूल्य में चूंकि भारी राज सहायता राशि निहित होने से इसका वितरण वैध एवं अधिकृत राशनकार्ड धारकों को ही किया जावे।
14. प्रत्येक थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को आपूर्ति किये गये केरोसीन की अन्तर राशि मद **"1475-00-800-05-00 परिवहन समानीकरण की प्राप्तियां"** के अंतर्गत ई-चालान से बैंक में जमा कराते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
15. उक्त आवंटन जिले की वैब साईट barmer.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
यह आदेश **01.11.2018** से प्रभावी होगा।

(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
जिला रसद अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांकः प.15(16)(2)रसद/2015/ 1920-1949 दिनांक :- 13-11-2018

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, राज. जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर/शिव/चौहटन/गुड़ामालानी/बायतु/सिवाना/रामसर/बालोतरा/सेड़वा/सिणधरी/धोरीमना।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाड़मेर/रामसर/शिव/गड़रारोड़/चौहटन/सेडवा/धनाऊ/धोरीमन्ना/गुड़ामालानी/सिणधरी/बायतु/गिड़ा/बालोतरा/पाटोदी/कल्याणपुर/सिवाना/समदड़ी।
4. आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर/बालोतरा।
5. जिला सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, बाड़मेर।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बाड़मेर को समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाने हेतु प्रेषित है।
7. प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा/सिवाना/समदड़ी/बाड़मेर/बायतु/गिड़ा/चौहटन/सेड़वा/ प्रवर्तन निरीक्षक शिव/गड़रारोड़/रामसर/सिणधरी/धोरीमना/गुड़ामालानी को पालनार्थ।
8. श्री मोहित जोशी, सहायक प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रति माह उक्त आवंटन का तुंरत मैपिंग कर विभागीय पॉर्टल पर पोश मशीन में आवंटन का ऑन लाईन अपडेशन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की देरी व त्रुटि के लिए आप जिम्मेवार होंगे।
9. जिलाध्यक्ष, उचित मूल्य दुकान संघ, बाड़मेर।
10. मैसर्स .... केरोसीन थोक विक्रेता .... को पालनार्थ।

जिला रसद अधिकारी
बाड़मेर

(2)